

न्यायालय : प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

समक्ष गोपेश गार्

प्रकरण क्रमांक : 45ए/2014

संस्थापन दिनांक 02.01.2013

1 श्रीमती प्रतिभाबाई आयु 31 साल वेवा पत्नी  
विष्णुसिंह जाति जाट निवासी ग्राम झांकरी तहसील  
गोहद जिला भिण्ड

2 कु0 रेणूबाई आयु 12 साल पुत्री विष्णुसिंह नाबालिग  
व सरपरस्त मां स्वयं प्रतिभाबाई जाति जाट निवासी  
ग्राम झांकरी परगना गोहद जिला भिण्ड

— वादीगण

बनाम

- 1 कमलाबाई वेवा पत्नी बच्चूसिंह उम्र 60 साल
- 2 रूपसिंह आयु 34 साल
- 3 सतेन्द्रसिंह आयु 20 साल पुत्रगण बच्चूसिंह समस्त  
जाति जाट निवासीगण ग्राम झांकरी परगना गोहद  
जिला भिण्ड म.प्र.
- 4 श्रीमती उमलेश आयु 28 साल पुत्री बच्चूसिंह पत्नी  
जितेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मुरार ग्वालियर
- 5 म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0
- 6 शीलाबाई पत्नी विचित्रसिंह पुत्री रघुनाथसिंह निवासी  
ग्राम इटांयदा जिला भिण्ड

— प्रतिवादीगण

निर्णय

( आज दिनांक..... को घोषित )

1. यह वाद, मौजा झांकरी परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे  
क्रमांक 43 रकवा 1.12 है0, 213 रकवा 0.28 है0, 294 रकवा 0.88 है0, 326 रकवा 0.  
25 है0, 255 रकवा 0.25 है0, 356 रकवा 0.12 है0, 393 रकवा 0.19 है0, 591 रकवा  
0.11 है0, 592 रकवा 0.07 है0, 669 रकवा 0.11 है0, 761 रकवा 0.43 है0, 764  
रकवा 0.15 है0, 777 रकवा 0.21 है0, 808 रकवा 0.32 है0, 820 रकवा 0.32 है0,

864 रकवा 1.32 है0, 893 रकवा 0.54 है0, 928 रकवा 0.20 है0, 960 रकवा 0.40 है0, 1034 रकवा 0.77 है0, 1061 रकवा 0.31 है0, कुल किता 21 कुल रकवा 8.27 है0, 353 रकवा 0.14 है0, 317 रकवा 0.09 है0, 543 रकवा 0.12 है0, 638 रकवा 0.31, 725 रकवा 0.82 है0, 726 रकवा 0.72 है0, 927 रकवा 1.55 है0 कुल किता 7 कुल रकवा 3.75 तथा भूमि सर्वे नंबर 1003 रकवा 0.61 (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जावेगा) तथा एक मकान नवीन एवं एक मकान पुराना स्थित ग्राम झांकरी तहसील गोहद (जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त मकानों के रूप में संबोधित किया जावेगा) में मृतक बच्चूसिंह के हिस्सा 1/2 में वादीगण, प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 समान भाग तथा मृतक बहादुरसिंह के हिस्सा 1/2 में वादिया क्रमांक 1, प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3, 1/3 के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किया जाने तथा वादग्रस्त भूमि एवं मकानों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा एकांकी रूप से नामांतरण न करावें और वादीगण के कब्जा में बाधा उत्पन्न न करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्र 6 ने प्रतिदावा वादग्रस्त भूमि व मकानों में प्रतिदावाकर्ता 1/3 के भू स्वामी एवं अधिपत्यधारी घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत है कि, विवादित भूमि पैत्रिक है एवं बच्चूसिंह व बहादुरसिंह की मृत्यु हो चुकी है।
3. वादपत्र के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि एवं मकान के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी मृतक रघुनाथसिंह थे। जिनके बाद विवादित भूमि व मकान के स्वामी वादिया क्रमांक 1 के ससुर बच्चूसिंह व चचिया ससुर बहादुरसिंह हैं मृतक बच्चूसिंह का हिस्सा 1/2 व मृतक बहादुरसिंह का हिस्सा 1/2 है तथा भूमि सर्वे नंबर 1003 रकवा 0.61 के मृतक बच्चूसिंह वादी क्रमांक 1 के ससुर व वादी क्रमांक 2 के बाबा भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी थे। बहादुरसिंह मृतक बच्चूसिंह के सगे भाई थे उनके वारिसान में मृतक बच्चूसिंह के ज्येष्ठ पुत्र विष्णुसिंह, सतेन्द्रसिंह, रूपसिंह हैं। जिनमें से विष्णुसिंह फौत हो चुके हैं विष्णुसिंह के वारिसान में उनकी पत्नी प्रतिभा व.सा.1 एवं उनकी पुत्री कु0 रेणू है। बच्चूसिंह व बहादुरसिंह, जब तक जीवित रहे तब तक वे शामिल शरीक खेती करते थे। बहादुरसिंह के कोई पुत्र, पुत्री व पत्नी जीवित नहीं है। विष्णुसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद मृतक बच्चूसिंह एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने वादग्रस्त कृषि भूमि व नवीन मकान तथा पुराने मकान में हिस्सा देने से इंकार किया था तब वादीगण द्वारा मृतक बच्चूसिंह के जीवनकाल में वादीगण ने अपना संपूर्ण हिस्सा प्राप्त करने के लिए न्यायालय में कार्यवाही की थी। तब न्यायालय में दोनों पक्षों के मध्य कुछ जमीन व नवीन मकान में समान हक से हिस्सा न देते हुए और ना ही कोई पुराने मकान में हिस्सा देते हुए राजीनामा हुआ था जिसमें मृतक बच्चूसिंह द्वारा पुराने मकान व कुछ जमीन में हिस्सा छिपाकर राजीनामा किया था इसलिए वादीगण को मृतक बच्चूसिंह के हिस्से की जायदाद में समान भाग से हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। मृतक बहादुरसिंह के हिस्से की जायदाद में वादिया क्रमांक 1 व प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 हिस्सा 1/3 के कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। वादिया ने दिनांक 29.11.12 को समान भाग से नामांतरण कराने हेतु तहसील व ग्राम पंचायत में कार्यवाही की गयी। जब कार्यवाही संचालित है तब प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 द्वारा मृतक बहादुरसिंह की जायदाद में हिस्सा न देने तथा मृतक बच्चूसिंह की जायदाद में समान हिस्सा न देने व समस्त संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करने व मात्र अपना नामांतरण कराने की धौंस दी गई है। वादिया द्वारा ऐसा करने से प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को रोका गया तो लड़ाई झगड़े

पर आमादा हुए हैं। बच्चूसिंह व बहादुरसिंह से प्राप्त संपत्ति हिन्दू परिवार की संयुक्त कोपार्सनरी संपत्ति है जो निर्वसयती संपत्ति है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 के विरुद्ध के विरुद्ध इस आशय की आज्ञाप्ति परित किये जाने का निवेदन किया है कि मृतक बच्चूसिंह के हिस्सा 1/2 में वादीगण , प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 4 समान भाग तथा मृतक बहादुरसिंह के हिस्सा 1/2 में वादिया क्रमांक 1, प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 , 1/3 के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी ऋणित किया जाये तथा वादग्रस्त भूमि एवं मकानों पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा एकांकी रूप से नामांतरण न करावें और वादीगण के कब्जा में बाधा उत्पन्न न करने की तथा ऐसा कोई कार्य न करने जिससे वादीगण के हितों व हकों के विपरीत व्यवधान उत्पन्न हो, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है।

4. प्रकरण में प्रतिवादी क्र 1 लगायत 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया है।
5. प्रतिवादी क्रमांक 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादिया की पैतृक भूमि होकर मृतक पिता रघुनाथसिंह के एकांकी स्वामित्व एवं आधिपत्य की है प्रतिवादिया उनकी पुत्री होकर जायज वारिस है जिसमें वारिस के अनुसार प्रतिवादिया का हिस्सा 1/3 है। प्रतिवादिया अशिक्षित महिला है प्रतिवादिया को प्रतिभा व.सा.1 तथा बच्चूसिंह बगैरह के मध्य चले मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि प्रतिभा व.सा.1 वगैरह ने एवं बच्चूसिंह वगैरह ने मामले के बाबत कोई जानकारी कभी नहीं दी है और न ही प्रतिभा व.सा. 1 ने उसके उपर कोई मामला चलाया है। बच्चूसिंह व बहादुरसिंह प्रतिवादिया के सगे भाई थे उन्होंने व बच्चूसिंह की पत्नी कमलाबाई ने भी उसे इस मामले के बाबत कभी नहीं बताया। बहन होने के नाते प्रतिवादिया का भी उत्तराधिकार के मुताबिक समान हिस्सा है। वादीगण की प्रतिवादिया को जानकारी थी कि वह मृतक बच्चूसिंह व बहादुरसिंह की सगी बहन है फिर भी उन्होंने पूर्व के दीवानी वाद में तथा प्रस्तुत मामले में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया। सजरा खानदान में भी वादीगण ने जानबूझकर प्रतिवादिया को रघुनाथसिंह की पुत्री होने का तथ्य छिपाया। प्रतिवादिया क्रमांक 6 शीला प्र.सा.1 का उत्तराधिकार के नियमा के मुताबिक मृतक रघुनाथसिंह की संपूर्ण संपत्ति में 1/3 हिस्सा है। वादीगण पूर्व में विवादित भूमि से अपना भाग स्वेच्छा से राजीनामा के द्वारा प्राप्त कर चुकी है इस कारण अब उनका कोई हिस्सा शेष नहीं है। वादीगण ने मकान की कीमत 45,000/-रुपये कायम की है उस पर वादीगण ने कोई कोर्टफीस नहीं पटाई है जबकि उस पर अलग से एडवोलेट कोर्टफीस पटानी चाहिये पटाने के कारण दावा होकर संचालन योग्य नहीं है। वादीगण किसी प्रकार की सहायता पाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः वादीगण का दावा खारिज किया जाकर व्यय न्यायालय दिलाये जाने का निवेदन किया है।
6. प्रतिवादी क्र 6 के प्रतिदावा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि सर्वे क्रमांक 43 रकवा 1.12 है0, 213 रकवा 0.28 है0, 294 रकवा 0.88 है0, 326 रकवा 0.25 है0, 255 रकवा 0.25 है0, 356 रकवा 0.12 है0, 393 रकवा 0.19 है0, 591 रकवा 0.11 है0, 592 रकवा 0.07 है0, 669 रकवा 0.11 है0, 761 रकवा 0.43 है0, 764 रकवा 0.15 है0, 777 रकवा 0.21 है0, 808 रकवा 0.32 है0, 820 रकवा 0.32 है0, 864 रकवा 1.32 है0, 393 रकवा 0.54 है0, 928 रकवा 0.20 है0, 950 रकवा 0.40 है0, 1034 रकवा 0.77 है0, 1061 रकवा 0.31 है0, कुल किता 21 कुल रकवा 8.27 है0, 353 रकवा 0.14 है0, 317 रकवा 0.09 है0, 543 रकवा 0.12 है0, 638 रकवा

0.31, 725 रकवा 0.82 है, 726 रकवा 0.72 है, 927 रकवा 1.55 है कुल किता 9 कुल रकवा 3.75 तथा एक मकान नवीन ग्राम झांकरी तहसील गोहद में स्थित है जिसके भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी मृतक रघुनाथसिंह थे। विवादित भूमि प्रतिदावाकर्ता को पैतृक जायदाद है जिसमें प्रतिवादिया का हिस्सा 1/3 है जिस पर वह काबिज होकर काश्त कर रही है इस विवादित भूमि से वादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वादीगण ने जानबूझकर उसे सजरा खानदान में सामलाती नहीं किया सही तथ्य को छिपाकर न्यायालय के समक्ष स्वस्थ हाथों से प्रकरण को नहीं रखा है जबकि मृतक रघुनाथसिंह की समस्त जायदाद में प्रतिदावाकर्ता का हिस्सा 1/3 है क्योंकि प्रतिदावाकर्ता रघुनाथसिंह की पुत्री होकर वारिस है। प्रतिवादिया के गांव में ग्राम झांकरी के व्यक्तियों के द्वारा आने पर बताया गया है कि प्रतिभा व.सा.1 ने झांकरी की जमीन पर दावा कर दिया है तब प्रतिदावाकर्ता ने गोहद आकर उपरोक्त दावे में अपने वकील साहब के माध्यम से मुकद्दमा लड़ने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 20.01.15 को दिलवाया तथा न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.06.15 को पूर्व उक्त प्रकरण की तामील आई तब उक्त मामले की एवं पूर्व में चले दीवानी मामला की पूर्ण जानकारी हुई है। प्रतिदावा पूर्व में चले दीवानी प्रकरण में वादीगण ने एवं बच्चूसिंह वगैरह ने उसे कोई जानकारी मामले के वास्ते नहीं दी पूर्व में वादीगण ने एक तरफा में डिक्री प्राप्त की है। अतः इस आशय की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है कि प्रतिदावा की में वर्णित विवादित कृषि भूमि पुराना मकान एवं नवीन मकान में प्रतिदावाकर्ता हिस्सा 1/3 की वारिस की हैसियत से भूमि स्वामिनी होकर आधिपत्यधारिणी है, यह घोषणा की जाये।

7. वादीगण ने प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 6 ग्राम इटायली में निवास करती है जहां उसकी ससुराल है। प्रतिवादी क्रमांक 6 अपने पिता रघुनाथसिंह की मृत्यु होने के पश्चात उसे इस बात की जानकारी थी कि उसके पिता के नाम से कृषि भूमि है। मृत होने के पश्चात अपने भाइयों के साथ उसने हिस्सा प्राप्त नहीं किया इसलिए यह माना जावेगा कि प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा अपने भाइयों की मौन स्वीकृति के आधार पर अपने भाइयों को मौन स्वीकृति देकर अपना हिस्सा उनके नाम करा दिया था जिसे करीब 40-50 साल हो चुके हैं। प्रतिवादिया क्रमांक 6 द्वारा अपने मृतक भाई बच्चूसिंह एवं बहादुरसिंह को पूर्ण सहमति से वादग्रस्त भूमि उनके नाम करा दी थी। इसलिए उनका वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/3 नहीं है और ना ही वह किसी प्रकार से लेने की अधिकारी है। प्रतिवादी क्रमांक 6 के पति विचित्र सिंह को वादीगण द्वारा जो दावा पेश किया है उसकी जानकारी पूर्व से ही थी क्योंकि उनके पति विचित्रसिंह ने दिनांक 06.01.14 को वादीगण के पक्ष में अपना शपथपत्र पेश किया था। प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में कब्जा की सहायता चाहे बिना प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रतिदावा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के तहत संचालन योग्य होने से निरस्ती योग्य है। प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा प्रतिवादपत्र बेरुन मियाद पेश किया गया है। क्योंकि उनके पिता मृतक रघुनाथसिंह की मृत्यु लगभग 40-45 वर्ष पूर्व हुई थी तब उन्होंने जानकारी होते हुए भी अपने पिता की संपत्ति में कोई हक प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की तथा उनके पति विचित्रसिंह प्रतिवादी क्रमांक 6 को वादिया व मृतक बच्चूसिंह व बहादुरसिंह के मध्य पूर्व में चले व्यवहारवाद की जानकारी थी तब भी उनके द्वारा अपना हक प्राप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की इसलिए ऐसा माना जावेगा कि मृतक रघुनाथसिंह की संपत्ति में जानबूझकर सहमति से अपने भाई बच्चूसिंह,



बहादुरसिंह को उत्तराधिकार में मिली संपत्ति उनके नाम कराने में सहमति थी।  
अतः प्रतिदावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

8. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न वादप्रश्न प्रश्न विरचित किए गये हैं  
जिन पर प्राप्त विनिश्चय प्रत्येक के समक्ष अंकित किया जायेगा।
- |            |          |
|------------|----------|
| वाद प्रश्न | विनिश्चय |
|------------|----------|

1. क्या वादीगण वादपत्र की कलम नं० 1 में वर्णित कृषि भूमि पुराना मकान एवं नवीन मकान स्थित ग्राम झांकरी परगना गोहद में मृतक बच्चूसिंह के हिस्सा 1/2 में वादीगण को प्राप्त संपत्ति के अलावा प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 04 समान भाग से तथा मृतक बहादुरसिंह के हिस्सा 1/2 की कृषि भूमि व मकान में वादी क्रमांक 01 1/3 भाग के भूमिस्वामी होकर आधिपत्यधारी हैं ?

2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने वादग्रस्त भूमि एवं मकान के संबंध में में अवैधानिक कृत्य किया है ?

3. क्या वादीगण द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर विहित न्यायशुल्क अदा किया है ?

4. सहायता एवं व्यय ?

5. क्या उपरोक्त विवादित भूमि व भवन नवीन व पुराना के 1/3 भाग पर प्रतिवादी शीला का उत्तराधिकारी होने से स्वत्व है ?

6. क्या प्रतिवादी क्रमांक 6 द्वारा परिसीमा अवधि में काउन्टर क्लेम पेश किया है ?

7. क्या काउन्टर क्लेम प्रतिवादी क्रमांक 06 का कब्जा वापिसी की प्रार्थना के बिना अनुतोष हेतु पोषणीय नहीं है ?

// वाद प्रश्न क्रमांक 01, 05 एवं 06 का सकारण निष्कर्ष //

9. विवादित भूमि पर वादिया का स्वत्व व अधिपत्य होने एवं प्रतिवादी शीला प्र. सा.1 का स्वत्व व अधिपत्य न होने के संबंध में वादी साक्षी प्रतिभा व.सा.1 ने कथन किया है कि विवादित भूमि बच्चूसिंह और चचिया ससुर बहादुरसिंह से प्राप्त संपत्ति है जिसमें दोनों 1/2-1/2 भाग के भूस्वामी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिस वादी और प्रतिवादी रूपसिंह और सतेन्द्रसिंह हैं अन्य कोई वारिस नहीं है। शीला प्र.सा.1 के पति ने दिनांक 06.01.14 को न्यायालय में शपथपत्र दिया था कि वादिया को उसके हिस्से की जमीन दी जाये। शीला प्र.सा.1 ने रघुनाथसिंह के जीवनकाल में शादी में पूरा हक प्राप्त कर लिया था और रघुनाथसिंह को मरे 40-50 वर्ष हो चुके हैं और जब

बहादुरसिंह व बच्चूसिंह का नामांतरण हुआ था उस समय शीला प्र.सा.1 अपना हक प्राप्त कर सकती थी और समय निकल जाने पर गलत प्रतिदावा पेश किया है। विवादित भूमि पर उसकी रूपसिंह और सतेन्द्रसिंह की समान भाग पर खेती हो रही है। बच्चूसिंह विष्णु के पिता थे और बहादुरसिंह विष्णुसिंह व प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के ताउ थे इस कारण वादिया को बहादुरसिंह की संपत्ति में विष्णु सिंह की पत्नी होने के नाते हिस्सा प्राप्त है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 4 व 6 का कोई कब्जा नहीं है। सुरेन्द्रसिंह व.सा.2 ने वादिया के कथन का समर्थन किया है कि वादिया उसकी बहन है जो बच्चूसिंह और बहादुरसिंह की भूमि पर वारिस है। विवादित भूमि पर वादी व प्रतिवादी रूपसिंह व सतेन्द्रसिंह का कब्जा है जिनकी खेती हो रही है और अन्य किसी का कब्जा नहीं है।

10. शीला प्र.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह रघुनाथसिंह की पुत्री है जिसकी मृत्यु 28 वर्ष पूर्व हो चुकी है और चार वर्ष पूर्व बच्चूसिंह व तीन वर्ष पूर्व बहादुरसिंह की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 60-70 बीघा भूमि ग्राम झांकरी में उसकी पैतृक संपत्ति है जिसमें उसका 1/3 भाग पर हिस्सा है। उसे पूर्व में चले प्रकरण की जानकारी नहीं है और न ही बच्चूसिंह व बहादुरसिंह ने उसे बुलाकर कभी जानकारी दी और न ही प्रतिभा व.सा.1 ने जानकारी दी। उसे गंधर्वसिंह प्र.सा.2 से पता चला था कि वादिया ने दावा किया है। उसके भाइयों ने उसे कुछ नहीं दिया और रघुनाथसिंह की संपत्ति में उसका हिस्सा है। प्रतिभा व.सा.1 पहले जमीन व मकान ले चुकी है और उसका रघुनाथसिंह की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है और राजीनामा के द्वारा वह पहले ही अपना हिस्सा ले चुकी है। गंधर्वसिंह प्र.सा.2 ने कथन किया है कि शीला प्र.सा.1 रघुनाथसिंह की पुत्री है और बहादुरसिंह व बच्चूसिंह की बहन है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बहादुरसिंह की कोई औलाद नहीं है। रघुनाथसिंह की मृत्यु हुए 28-29 वर्ष हो चुके हैं जिसकी संपत्ति के 1/3 भाग पर शीला प्र.सा.1 का हिस्सा है। प्रतिभा व.सा.1 ने पहले दावा करके रघुनाथसिंह की जायदाद में से हिस्सा ले लिया है। क्योंकि बच्चूसिंह व बहादुरसिंह पर उसने दावा किया था जिसमें राजीनामा हुआ था। गांव में पंचायत हुई तब जाकर अदालत में राजीनामा हुआ था और तब तय हुआ था कि वह बाद में कोई हिस्सा नहीं लेगी। बच्चूसिंह व बहादुरसिंह ने शीला प्र.सा.1 को विवादित जमीन में कभी हिस्सा नहीं दिया।

11. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी व प्रतिवादी ने धारा 80 सीपीसी का प्रेषित नोटिस प्र0पी-1 व प्र.डी.1 व रशीद प्र0पी-2, प्र.डी.2 प्रस्तुत किया है।
12. वादी ने प्रमाणीकरण प्र0पी-3 प्रस्तुत किया है। जिसमें उल्लेख है कि बच्चूसिंह व बहादुरसिंह रघुनाथ के पुत्र थे। बहादुरसिंह के कोई संतान नहीं थी और बच्चूसिंह के वारिस रूपसिंह, सतेन्द्र व मृतक विष्णु है। परन्तु प्रमाणीकरण के साक्षियों का परीक्षण न कराये जाने से उक्त प्रमाणीकरण मूल्यहीन है। अतः उक्त प्रमाणीकरण साबित नहीं किया गया है।
13. वादी ने नामांतरण बाबत प्रस्तुत आवेदन प्र0पी-4 समक्ष न्यायालय तहसीलदार की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में बच्चूसिंह की संतान रूपसिंह और सतेन्द्र आवेदक और कमलाबाई व उमलेश और वादीगण अनावेदक हैं। उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका प्र0पी-5 उमलेश, कलावती, सतेन्द्र व रूपसिंह के कथन प्र0पी-6 लगायत 9 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें उमलेश व कलावती ने बच्चूसिंह की संपत्ति में हक प्राप्त न करना व्यक्त किया है और बच्चूसिंह की संतान सतेन्द्रसिंह व रूपसिंह हैं। अपना नामांतरण कराये जाने की प्रार्थना की है। उक्त नामांतरण प्रकरण में भी शीला प्र.सा.1 को पक्षकान नहीं बनाया गया है।

14. वादी ने बच्चूसिंह व बहादुरसिंह की संपत्ति का खतौनी प्र०पी-11 वर्ष 2012 की प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार 21 सर्वे नंबरों का रकवा 8.27 भाग के व भूमिस्वामी अंकित हैं। खतौनी प्र०पी-10 के अनुसार सर्वे क्रमांक 1003 बच्चूसिंह के एकांकी स्वत्व में उल्लिखित है। वादी ने खतौनी प्र०पी-13 वर्ष 2012 प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार सात सर्वे नंबर रकवा 3.75 है० के बहादुरसिंह व बच्चूसिंह संयुक्त भूस्वामी उल्लिखित हैं। वादी ने ग्राम झांकरी स्थित नवीन व पुराने मकान के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं और न ही यह उल्लेख किया है कि वह किस सर्वे नंबर में स्थित है।
15. वादी ने न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद के प्र०क्र० 111ए/2000 प्रतिभाबाई व रेणूबाई बनाम बच्चूसिंह, बहादुरसिंह, रूपसिंह, और सतेन्द्रसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.02.03 प्र०पी-13 उक्त प्रकरण में पारित डिक्री प्र०पी-14 व विवादित मकान का नक्शा प्र०पी-15 प्रस्तुत किया है। उक्त राजीनाम आदेश प्र०पी-13 में उल्लेख है कि सर्वे क्रमांक 389 और सर्वे क्रमांक 773 में से रकवा 1.43 है० के वादीगण राजीनामा के अनुसार भूस्वामी रहेंगे और नक्शा प्र०पी-16 के अनुसार लाल स्याही से चिह्नित भाग पर वादीगण भूस्वामी रहेंगे। प्रतिभा व.सा.1 ने कथन के पैरा 6 में स्वीकार किया है कि प्र०क्र० 111/2000 में उसने शीला प्र.सा.1 को पक्षकार नहीं बनाया था और उक्त प्रकरण में राजीनामा हुआ था और राजीनामा की शर्त उसने स्वीकार की थी कि वह बहादुरसिंह व बच्चूसिंह की संपत्ति में उनके जीवनकाल में कोई हिस्सा नहीं लेगी। आदेश प्र०पी-13 में शीला प्र.सा.1 पक्षकार नहीं है। अतः उक्त आदेश शीला प्र.सा.1 पर बंधनकारी नहीं है और उक्त समझौते की शीला प्र.सा.1 पक्षकार भी नहीं है। आदेश प्र०पी-13 को किसी न्यायालय में चुनौती दी गयी इस संबंध में भी उभयपक्ष ने अभिवचन नहीं किए हैं। अतः आदेश 23 नियम 3क सीपीसी के अधीन समझौते के आधार पर पारित डिक्री को अपास्त करने के लिए की डिक्री विधिपूर्ण नहीं है वाद नहीं लाया जा सकेगा। अतः विवादित भूमि के संबंध में राजीनामा के अनुसार वादीगण के हित निर्धारित हो चुके हैं। जिनके विरुद्ध आदेश 23 नियम 3क सीपीसी के अधीन वादीगण इस न्यायालय में चुनौती देकर आदेश प्र०पी-13 के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त नहीं सकते हैं।
16. शीला प्र.सा.1 द्वारा संपत्ति में हक छोड़े जाने के संबंध में प्रतिभा व.सा.1 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि शीला प्र.सा.1 के पति द्वारा दिनांक 06.01.14 को न्यायालय में शपथपत्र पेश किया गया था। प्रतिभा व.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 7 में इंकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 6 के पति विचित्रसिंह ने ऐसा कोई शपथपत्र नहीं दिया और कथन किया है कि ऐसा शपथपत्र प्रस्तुत किया था कि विवादित संपत्ति में उसे कुछ नहीं चाहिए। शीला प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 11 में स्वीकार किया है कि विचित्रसिंह न्यायालय में आया था जिसने दिनांक 06.01.14 को विवादित भूमि स्थल न चाहने का शपथपत्र पेश किया था। अतः विचित्रसिंह द्वारा संपत्ति में शीला प्र.सा.1 का हक प्राप्त न करने का शपथपत्र पेश न किया जाना स्वीकृत है परन्तु शीला प्र.सा.1 का पति शीला प्र.सा.1 के हक का त्यजन करने के लिए किस प्रकार सक्षम है यह वादी ने स्पष्ट नहीं किया है। अतः शीला प्र.सा.1 के हक का त्यजन करने के लिए शीला प्र.सा.1 का पति सक्षम प्रतीत नहीं होता है और न ही उक्त शपथपत्र पर वादी साक्ष्य में वादी ने प्रतिवादी को प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया है। अतः प्रतिपरीक्षण के अवसर के अभाव में शीला प्र.सा.1 के पति द्वारा शपथ पर दिया गया कथन शीला प्र.सा.1 पर बंधनकारी नहीं है।

17. प्रतिभा व.सा.1 ने कथन के पैरा 7 में कथन किया है कि शीला प्र.सा.1 की शादी उसके समक्ष नहीं हुई और इस सुझाव से इंकार किया है कि शीला प्र.सा.1 को कुछ नहीं दिया था। अतः जबकि शीला प्र.सा.1 का विवाह वादी के सामने नहीं हुआ तब उसके द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिया कथन कि शीलाबाई ने रघुनाथसिंह के जीवनकाल में शादी में पूरा हक प्राप्त कर लिया था, अविश्वसनीय हो जात है। भातपक्ष में भी सामान दिए जाने के संबंध में शीला प्र.सा.1 को प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 12 में सुझाव दिए गए हैं जिससे शीला प्र.सा.1 ने इंकार किया है। गंधर्वसिंह प्र.सा.2 ने भी प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 7 में भात पक्ष देने की जानकारी होने से इंकार किया है और कथन के पैरा 8 में जानकारी होने से इंकार किया है कि शीला प्र.सा.1 ने अपने हिस्से का रूपया शादी के समय प्राप्त कर लिया था। अतः शीला प्र.सा.1 की पुत्रियों के विवाह में भी शीला प्र.सा.1 द्वारा अपने हिस्से के बराबर धनराशी प्राप्त करना प्रमाणित नहीं होता है।
18. प्रतिभा व.सा.1 ने कथन के पैरा 9 में कथन किया है कि रघुनाथसिंह के मरने के उपरांत आज तक जब शीला प्र.सा.1 ने हिस्सा नहीं मांगा तब उसका कोई हिस्सा नहीं रहता है। प्रतिभा व.सा.1 ने कथन के पैरा 5 में कथन किया है कि शीला प्र.सा.1 ने रघुनाथसिंह के मरने के बाद वादग्रस्त संपत्ति में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। सुरेन्द्रसिंह व.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 2 में स्वीकार किया है कि उसने मुख्यपरीक्षण में नहीं बताया है कि 60 साल पहले रघुनाथसिंह की मृत्यु हो गयी थी जब शीला प्र.सा.1 ने हक छोड़ दिया था जबकि उक्त साक्षी वादी प्रतिभा व.सा.1 का भाई है। शीला प्र.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब रघुनाथसिंह की मृत्यु हुई तब उसे जानकारी हुई कि ग्राम झांकरी और नीरपुरा में रघुनाथसिंह की संपत्ति है और उसमें उसका हिस्सा है और यह भी स्वीकार किया है कि उसने हिस्सा प्राप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की और कथन के पैरा 11 में कथन किया है कि रघुनाथसिंह के मरने के बाद बच्चूसिंह, बहादुरसिंह ने विवादित जमीन अपने नाम करा ली यह बात उसे तब पता थी परन्तु उसने जानबूझकर हिस्सा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की और कथन के पैरा 12 में स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री की शादी में बहादुरसिंह व बच्चूसिंह ने भात नहीं दिया था फिर भी उसने हिस्सा प्राप्त करने के लिए कार्यवाही नहीं की और स्वतः कथन किया है कि वह कोई हिस्सा नहीं चाहते थे इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की। शीला प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 13 में भी कथन किया है कि रघुनाथसिंह की मृत्यु उपरांत नामांतरण पर उसने कोई आपत्ति या अपील नहीं की और 28-30 वर्ष तक उसने कोई हक की कार्यवाही नहीं की। परन्तु शीला प्र.सा.1 ने कथन के पैरा 14 में इंकार किया है कि विवादित संपत्ति में उसका कोई हक नहीं है। गंधर्वसिंह ने भी कथन के पैरा 6 में कथन किया है कि रघुनाथसिंह के मरने के बाद शीला प्र.सा.1 ने हिस्सा मांगा या नहीं इस संबंध में जानकारी नहीं है और न ही शीला प्र.सा.1 व उसके पति ने हिस्सा मांगने का कोई वातावरण बनाया।
19. न्यायदृष्टांत **Sri Veerayya Mahantayya Koppad vs Smt. Geetha W/O Gangadhar ILR 2008 KAR 1773, 2008 (2) KarLJ 317** में प्रतिपादित किया गया है कि  
The question relating to proof of exclusion was considered by the Madras High Court to the case of Marudanayagam v. Sola Pillai reported in A.I.R. 1965 Madras 200, and the law laid down is as under:



(11) It is settled law that lapse of time is never in itself a bar to partition and the statute of limitation will operate from the time the plaintiff is excluded from his share and such exclusion became known to him. There can be no exclusion without a denial of the coparcener's right to a share and such denial may be express or implied. While partition is demanded and refused or if the coparcener is expelled from the joint family, that would be clear exclusion. Once the plaintiff established his claim to a share in the joint family properties by showing that the family was joint and that he was a coparcener entitled to a share in its properties, the onus is on the defendants to establish exclusion to plaintiff's knowledge for over 12 years prior to suit. If authority is required for this proposition, one may refer to the decisions in Jivanbhat v. Anibhat ILR 22 Bom. 259; Ramnath Chatterjee v. Kusum Kamini Devi 4 Cal LJ 56 and the decision of a Division Bench of our High Court in Machiraju v. Simhachala 9 Mad LJ 129.

.....

The effect of the law laid down by the Apex Court and the other High Court as mentioned above is that when there is no foundation laid to prove the factum of exclusion, the limitation under Article 110 will not start unless it is shown that a person was excluded from a joint family property to enforce his rights to share therein.

20. अतः उक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि से स्पष्ट है कि अगर सहदायिक सम्पत्ति में सहस्वामी के रूप में हक का अभिवाक् किया जाता है तब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहस्वामी संयुक्त सम्पत्ति से निष्कासित किया जाता है तब निष्कासन के 12 वर्ष की अवधि में वाद लाना होगा। वर्तमान वाद भी परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 110 से शासित होता है। अतः शीला प्र.सा.1 को अपने पिता की मृत्यु के समय से ही ज्ञान था कि उसके भाईयों ने विवादित भूमि में उसको हिस्सा प्रदान कर नामांतरण नहीं कराया तब ऐसी जानकारी के 12 वर्ष के अंदर वाद पोषणीय होगा। परन्तु रघुनाथ की मृत्यु के 12 वर्ष के अंदर भी शीला प्र.सा.1 ने दावा प्रस्तुत नहीं किया और 12 वर्ष के

उपरांत परिसीमा के विस्तारण हेतु भी कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः शीला प्र.सा.1 का काउन्टर क्लेम परिसीमा से बाधित होना स्पष्ट होता है।

21. प्रतिभा व.सा.1 ने भी कथन के पैरा 9 में कथन किया है कि वह अंदाज से नहीं बता सकती कि कितने खेत हैं। सुरेन्द्रसिंह व.सा.2 ने कथन के पैरा 3 में कथन किया है कि विवादित भूमि 10-12 खेत हैं जिस पर दोनों भाई खेती कर रहे हैं। उसे नहीं पता कि कितने बीघा के खेत हैं। दोनों ही साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण में विवादित भूमि पर अधिपत्य का अभिवाक किया है। रकवे का ज्ञान न होने से भी अधिपत्य के संबंध में उक्त दोनों वादीगण की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। सुरेन्द्रसिंह व. सा.2 ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि केवल दोनों भाइयों की खेती हो रही है। शीला प्र. सा.1 ने प्रतिपरीक्षण के कथन के पैरा 14 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर वादिया व रूपसिंह व सतेन्द्रसिंह काबिज होकर खेती कर रहे हैं और कथन के पैरा 9 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर उसकी कभी खेती नहीं हुई। अतः शीला प्र.सा.1 ने ही विवादित भूमि पर स्वयं का अधिपत्य होना अस्वीकार वादी व प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 का अधिपत्य होना स्वीकार किया है। गंधर्वसिंह प्र.सा.2 ने भी कथन के पैरा 5 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर बच्चूसिंह व बहादुरसिंह के जीवनकाल से ही रूपसिंह, सतेन्द्रसिंह व विष्णुसिंह खेती कर रहे हैं और विष्णु की मृत्यु के बाद वादी खेती कर रही है और प्रतिवादी शीला प्र.सा.1 ने वादग्रस्त भूमि पर कभी खेती नहीं की। अतः गंधर्वसिंह प्र.सा.2 ने भी विवादित भूमि पर प्रतिवादी का अधिपत्य होने से इंकार किया है।

22. विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 6 ने स्वयं का अधिपत्य होने से स्पष्ट इंकार किया है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 6 का अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है। वादिया ने भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस विवादित भूमि पर कितने रकवे पर उसका अधिपत्य है। शीला प्र.सा.1 ने प्रतिभा व.सा.1 का अधिपत्य होना स्वीकार किया है परन्तु राजीनामा आदेश प्र0पी-13 के अनुसार भी सर्वे क्रमांक 389 और 773 ही राजीनामा में वादिया को प्राप्त हुआ है। अतः उक्त सर्वे नंबर पर वादिया का अधिपत्य होना स्वाभाविक है और मात्र उनके अधिपत्य के आधार पर संपूर्ण वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का अधिपत्य प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर नहीं माना जा सकता है जबकि स्वयं इस संबंध में वादी ने स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है और आदेश प्र.पी.13 के अनुसार वादीगण ने संपूर्ण विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं किया है।

23. अतः आदेश प्र0पी-13 के अनुसार वादी के पूर्वाधिकारी विष्णुसिंह को जो विवादित संपत्ति में बच्चूसिंह से स्वत्व प्राप्त होता उस संबंध में राजीनामा के अनुसार अंतिम विनिश्चय दिया जा चुका है और बहादुरसिंह की संपत्ति में भी वादिया का हित आदेश प्र0पी-13 के अनुसार पूर्व निर्धारित हो चुका है। आदेश प्र0पी-13 के चरण पर बच्चूसिंह व बहादुरसिंह जीवित थे और सहदायिक के रूप में वादिया के हित निर्धारित हो चुके हैं। उक्त आदेश प्र.पी.13 प्रतिवादी क्रमांक 6 पर बंधनकारी नहीं है। क्योंकि उक्त समझौते की प्रतिवादी क्रमांक 6 पक्षकार नहीं थी। प्रतिवादी क्रमांक 6 ने बहादुरसिंह की मृत्यु उपरांत बच्चूसिंह व बहादुरसिंह के नामांतरण की जानकारी होने के उपरांत भी नामांतरण को चुनौती नहीं दी है और रघुनाथसिंह की मृत्यु के समय विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त करने की कोई प्रार्थना नहीं की है। प्रतिवादी क्रमांक 6 का दावा उपरोक्त विवेचना के अनुसार परिसीमा के बाहर होना प्रमाणित हुआ है। परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 6 बच्चूसिंह व बहादुरसिंह के साथ रघुनाथ की उत्तराधिकारी थी और आदेश प्र0पी-13 उस पर बंधनकारी नहीं है। अतः विवादित भूमि के 1/3 भाग पर

शीला प्र.सा.1 का स्वत्व होना प्रमाणित होता है।

24. अतः वादप्रश्न क्रमांक 01 व 06 का विनिश्चय नासाबित व वाद प्रश्न क्रमांक 05 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 02 का सकारण निष्कर्ष//

25. वादी के अभिवचन के अनुसार दिनांक 29.11.12 को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 ने वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है और प्रतिवादी क्रमांक 6 के संबंध में कोई अभिवचन नहीं किए हैं न ही इस संबंध में प्रतिभा व.सा.1 अथवा सुरेन्द्रसिंह व.सा.2 ने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन किया है। संपूर्ण विवादित भूमि पर वादीगण का सह स्वामी के रूप में अधिपत्य भी प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः यह साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने वादग्रस्त भवन व भूमि के संबंध में अवैधानिक कृत्य किया है।

//वादप्रश्न क्रमांक 07 का सकारण निष्कर्ष//

26. उपरोक्त विवेचना के आधार पर व शीला प्र.सा.1 व गंधर्वसिंह प्र.सा.2 द्वारा प्रतिपरीक्षण में स्वीकारोक्ति के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 6 का अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 6 ने स्वत्व की घोषणा की प्रार्थना की है परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 6 का एकल रूप से अथवा सहअधिपत्यधारी के रूप से विवादित भूमि पर अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 6 घोषणा के अतिरिक्त अधिपत्य प्राप्ति की भी प्रार्थना कर सकती थी जिसका उसने लोप किया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत मन्धारसिंह बनाम परमेश्वरी ए.आई.आर. 1949 नागपुर 211 भी अवलोकनीय है जिसके अनुसार जहां वादी को उसके भाइयों ने अधिपत्य से बाहर रखा हो वहां संयुक्त संपत्ति में हिस्से की घोषणा में अधिपत्य की प्रार्थना भी की जाना चाहिए। अतः धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन प्रतिवादी क्रमांक 6 की स्वत्व घोषणा नहीं की जा सकती जबकि अधिपत्य का अनुतोष मांगने योग्य होने पर भी उसने लोप किया है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 07 का विनिश्चय साबित के रूप में दिया जात है।

//वादप्रश्न क्रमांक 03 पर सकारण निष्कर्ष//

27. मूल्यांकन के संबंध में वादी ने अभिवचन किया है कि विवादित भूमि का भू-राजस्व का बीस गुना 1700/-रुपये और भवन की कीमत 45,000/-रुपये होती है। वर्तमान वाद वादिया ने स्वत्व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है और विवादित भूमि के 1/2 भाग पर स्वत्व की प्रार्थना की है जिस पर न्यायशुल्क घोषणा हेतु पांच सौ रुपये व निषेधाज्ञा हेतु सौ रुपये वादिया ने लगाया है। स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मालियती दो हजार रुपये और घोषणा व निषेधाज्ञा हेतु जुमला वाद मूल्य 48,700/-रुपये कायम किया है। विवादित भवन के मूल्य अनुचित होने के संबंध में प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः घोषणा हेतु वादी ने उचित मूल्यांकन किया है और न्यायशुल्क अधिनियम की द्वितीय अनुसूचित के अनुच्छेद 17 के अधीन निश्चित न्यायशुल्क पांच सौ रुपये देय होगा जो वादी ने प्रदान किया है। वर्तमान वाद में घोषणा के लिए निषेधाज्ञा के अनुतोष पारिणामिक नहीं हैं। अतः न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7(4)(डी) के अधीन वादी स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन करने को स्वतंत्र है जो वादी ने दो हजार रुपये किया है जो किस प्रकार अनुचित है यह प्रतिवादी ने स्पष्ट नहीं किया है। दो हजार रुपये वाद मूल्य पर न्यायशुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 1 के अधीन 12 प्रतिशत के अधीन रहते हुए न्यूनतम सौ रुपये न्यायशुल्क देय होगा। अतः दो हजार रुपये पर 140/-रुपये न्यायशुल्क देय होगा जबकि वादी ने

सौ रुपये न्यायशुल्क दिया है। अतः निषेधाज्ञा हेतु वादी ने पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय नहीं किया है।

28. अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 का विनिश्चय इस प्रकार दिया जात है कि वादी ने उचित मूल्यांकन कर घोषणा हेतु पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है परन्तु निषेधाज्ञा हेतु पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय नहीं किया है। अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय अंशतः साबित के रूप में दिया जाता है।

//वादप्रश्न क्रमांक 04 पर सकारण निष्कर्ष//

29. उपरोक्त विवेचना के आधार पर विवादित भूमि व मकान पर वादी का स्वत्व व आधिपत्य प्रमाणित नहीं हुआ है और प्रतिवादी क्रमांक 6 का काउन्टर क्लेम भी परिसीमा अवधि के बाहर होना प्रमाणित हुआ है तथा धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन भी काउन्टर क्लेम घोषणा योग्य प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 6 कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद व काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. वाद एवं काउन्टर क्लेम अस्वीकार किया जाता है।
  2. वादीगण व प्रतिवादीगण अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।
- तदनुसार आज्ञप्ति बनाई जाये।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2

गोहद जिला सिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)